

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(WATER/PHED)2019/एफसीए/प्रमुवसं./ 1396

दिनांक 02.06

शासन सचिव

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 16.4546 ha of forest land in favour of PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, DIVISION - I BANSEARA for Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District - Banswara, Rajasthan.  
(Proposal no. FP/RJ/WATER/39353/2019)

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज./ 08/18/2020/एफसी/42 दिनांक 07.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 2314 दिनांक 05.04.2021 से प्राप्त कर इस कार्यालय की सहमति के साथ प्रेषित है, जो निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात् वन भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति वन विभाग का ही है इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forestland(Compartment/ Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil - Kushalgarh, District - Banswara)	उक्त शर्त की पालना में मांग अनुसार देय राशि रु9,71,738 एवं रु31,70,200 कुल रु41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। 5.63 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर एवं 22 हेक्टेयर परिभ्रांषित वन .....P.T.O.

	<p>and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District -Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.</p>	<p>भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उच्च कार्यालय बजट आवंटन प्राप्त होने पर अधिरोपित की गई शर्त के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण का कार्य यथा समय पुर्ण करवा दिया जायेगा।</p>
4.	<p>The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.</p>	<p>उक्त शर्त की पालना में वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई गेर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामांतरण (प्रति संलग्न) करवा दिया गया है तथा यह भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली गई है, जिसकी चार्ज रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत है।</p>
5.	<p>The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</p>	<p>उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, कॉस्ट ऑफ सर्व, डिमार्केशन एवं पिल्लर्स हेतु निर्धारित मॉडल के अनुसार एवं वर्तमान में प्रचलित दरों से देय राशी रु9,71,738 एवं रु31,70,200 कुल रु41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। विभाग द्वारा करवाए जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत रोपित किए जाने वाले पौधों का निर्धारित मॉडल के अनुसार आगामी 10 वर्षों तक रखरखाव का कार्य नियमानुसार करवाया जाएगा।</p>
6.	<p>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.4.2008 and 9.5.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.9.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 5.2.2009 in this regard.</p>	<p>उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि रु103,00,580 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।</p>

7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों में वृद्धि होने की स्थिति में वन विभाग को देय अंतर राशि जमा करवा दिए जाने बाबत वांछित वचनबद्धता—पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
8.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि में पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों में से आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग की देखरेख करवाये जाने हेतु वांछित वचनबद्धता पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों के मूल्य हेतु देय राशि ₹10,865 यूजर एजेंसी के द्वारा उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के पक्ष में जमा करवा दी गयी है। तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	उक्त शर्त की पालना में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित Forest rights settlement की प्रक्रिया पूर्ण करवा ली गई है, एवं निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण—पत्र जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ2/राजस्व/2016/ दिनांक 17.03.2021 के द्वारा नियमानुसार ग्राम स्तरीय समिति, उपखंड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के द्वारा की गई कार्यवाही एवं बैठक कार्यवाही विवरण से संबंधित दस्तावेजों के साथ जारी किया गया है, जो अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।
10.	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
11.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
12.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है,

	Central Government.	जिससे यह कार्यालय सहमत है।
13.	No labour camp shall be established on the forest land.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
14.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
15.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
16.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। शर्त का उल्लंघन होना पाये जाने पर यूजर एजेंसी के विरुद्ध इस कार्यालय के द्वारा नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
18.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	उक्त शर्त की पालना में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि को अनुमति प्राप्त उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य और किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाये जाने के बाबत वांछित वचनबद्धता-पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जो अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।
19.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

20.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। इस वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में यूजर एजेंसी के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं अन्य किसी भी वन अधिनियम का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
21.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
22.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e- portal.	उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु वन विभाग को देय कुल धनराशि रु144,42,518 निर्देशानुसार ई-चालान के माध्यम से ही जमा करवायी गयी है।
23.	The compliance report shall be uploaded on e-portal	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

कृपया प्रस्ताव की एक मूल हार्डप्रिंट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तला, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिष्ट करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उक्तानुसार दो सैट।

भवदीय,

५१४

( भवानी सिंह )

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ. 14(WATER/PHED)2019 / एफसीए / प्रमुखसं./

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
- उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
- सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बांसवाड़ा।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

# कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: [ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in); Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एक 5 ( ) वसु/मुवस/2020-21/ 2314  
निमित्,

दिनांक : 05/04/2021

अदिवित प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गोवों एवं 395 ढाणियों में  
पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाले 16.4546 हेक्टर  
वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

(प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/39353/2019)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ14(WATER/ PHED 2019/एफसीए/ प्रमुवस/ 3655 दिनांक 14.12.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं  
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8वी/राज/08/18/2020/एफसीए/42, दिनांक 07.12.2020  
द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में चाही गयी है, जो उप वन संरक्षक,  
बांसवाडा ने उनके पत्रांक प. 14 (एफसीए) /उवस./2021/2797-98 दिनांक 23.03.2021 से इस कार्यालय को प्रेषित की है।  
इस कार्यालय की सहमति के साथ नियमानुसार तैयार की जाकर तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात् वन भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति वन विभाग का ही है इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के हारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forestland(Compartment/ Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha, degraded forest land (Compartment No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District – Banswara in place of remaining 11.00 ha, Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	उक्त शर्त की पालना में मांग अनुसार देय राशी ₹9,71,738 एवं ₹31,70,200 कुल ₹41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। 5.63 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर एवं 22 हेक्टेयर परिस्थिति वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उच्च कार्यालय से बजट आवंटन प्राप्त होने पर अधिरोपित की गई शर्त के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण का कार्य यथा समय पुर्ण करवा दिया जायेगा।
4	The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.	उक्त शर्त की पालना में वृक्षारोपण हेतु अंरक्षित की गई गेर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामांतरण (प्रति संलग्न) करवा दिया गया है तथा यह भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी कुशलगढ़ के द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली गई है, जिसकी चार्ज रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों से देय राशी ₹9,71,738 एवं ₹31,70,200 कुल ₹41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। विभाग द्वारा करवाए जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत रोपित किए जाने वाले पौधों का निर्धारित मॉडल के अनुसार आगामी 10 वर्षों तक रखरखाव का कार्य नियमानुसार करवा जाएगा।

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: [ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in); Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137क्रमांक एक ५ ( )वसु/मुवसं/2020-21/ 2314  
निमित्

दिनांक: - ०५/०४/२०२१

अधिवित प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नॉडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।विषय:- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में  
पेजयजल की आपूर्ति हेतु बृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वालों 16,4546 हैक्टर  
वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

(प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/39353/2019)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ14(WATER/ PHED 2019/एफसीए/प्रमुवसं/3655 दिनांक 14.12.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं  
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8वी/राज/08/18/2020/एफसीए/42, दिनांक 07.12.2020  
द्वारा जारी सेंद्रान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की विन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में चाही गयी है, जो उप वन संरक्षक,  
बांसवाडा ने उनके पत्रांक प. 14 (एफसीए) /उवस./2021/2797-98 दिनांक 23.03.2021 से इस कार्यालय को प्रेषित की है।  
इस कार्यालय की सहमति के साथ निमानुसार तैयार की जाकर तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात वन भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाति वन विभाग का है इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16,4546 ha, non forestland(Compartment/ Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil - Kushalgarh, District - Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District - Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	उक्त शर्त की पालना में मांग अनुसार देय राशी ₹9,71,738 एवं ₹31,70,200 कुल ₹41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। 5.63 हैक्टेयर गैर वन भूमि पर एवं 22 हैक्टेयर परिषिक्त वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उच्च कार्यालय से बजट आवेदन प्राप्त होने पर अधिकारित को गई शर्त के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण का कार्य यथा समय पुर्ण करवा दिया जायेगा।
4	The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.	उक्त शर्त की पालना में वृक्षारोपण हेतु अंशकित की गई गेर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामांतरण (प्रति संलग्न) करवा दिया गया है तथा यह भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी कुशलगढ़ के द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली गई है, जिसकी चार्ज रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों से देय राशी ₹9,71,738 एवं ₹31,70,200 कुल ₹41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। विभाग द्वारा करवाए जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत रोपित किए जाने वाले पौधों का निर्धारित मॉडल के अनुसार आगाम 10 वर्षों तक रखरखाव का कार्य नियमानुसार करवाय जाएगा।

6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.4.2008 and 9.5.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.9.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 5.2.2009 in this regard.	उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि ₹103,00,580 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों में वृद्धि होने की स्थिति में वन विभाग को देय अंतर राशि जमा करवा दिए जाने बाबत वांछित वचनबद्धता-पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
8	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि में पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों में से आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग की देखरेख करवाये जाने हेतु वांछित वचनबद्धता पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों के मूल्य हेतु देय राशि ₹10,865 यूजर एजेंसी के द्वारा उप वन संरक्षक, बासवाडा के पक्ष में जमा करवा दी गयी है। तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	उक्त शर्त की पालना में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मात्रता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित Forest rights settlement की प्रक्रिया पूर्ण करवाली गई है, एवं निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण-पत्र जिला कलक्टर, बासवाडा के पत्रांक एफ2/राजस्व/2016/दिनांक 17.03.2021 के द्वारा नियमानुसार ग्राम स्तरीय समिति, उपर्युक्त स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के द्वारा की गई कार्यवाही एवं बैठक कार्यवाही विवरण से संबंधित दस्तावेजों के साथ जारी किया गया है, जो अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।
10	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

	of the user agency or the project life, whichever is less.	
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी व द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। शर्त का उल्लंघन होना पाये जाने पर यूजर एजेंसी के विरुद्ध इस कार्यालय के द्वारा नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगा।
17	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी व द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	उक्त शर्त की पालना में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई व भूमि को अनुमति प्राप्त उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य और किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाये जाने के बाबत वांछित वचनबद्धता-पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जो अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी व द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी व द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। इस वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकार में यूजर एजेंसी के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ए अन्य किसी भी वन अधिनियम का किसी भी प्रकार से को उल्लंघन नहीं किया गया है।
21	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी व द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
22	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e- portal.	उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं वन भूमि व शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु वन विभाग को देय कुधनराशि ₹144,42,518 निर्देशानुसार ई-चालान के माध्यम से ही जमा करवायी गयी है।
23	The compliance report shall be uploaded on e-portal.	उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी व द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में वन विभाग को देय संपूर्ण राशि निर्देशानुसार जमा करवाई जा चुकी है। एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि के आवंटन, नामांतरण एवं हस्तांतरण की कार्यवाही भी पूर्ण करवाई जा चुकी है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सेक्वांटिक स्वीकृति का निर्देशानुसार दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन भी यूजर एजेंसी के द्वारा करवा दिया गया है (समाचार पत्रों की मूल प्रतियाँ अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत हैं)।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कृपया भारत सरकार के परिवर्तन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.11-306/2014-FC दिनांक 07.05.2015 से जारी निर्देशों के अनुसरण में व्यापक जनहित में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य करने हेतु वांछित कार्यानुमति यथा-शीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

11  
(आर.क.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
उदयपुर।

क्रमांक पत्रा 5( )वसु/मुवस/2020-21/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1-उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 2797-98 दिनांक 23.3.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

2- अधिकारी अधियंता, जन स्वारक्ष्य अधियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड- प्रथम, बांसवाडा।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
उदयपुर।